राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

कमॉकः-एफ-7(4)प्रवेश / अकाद / आकाशि / 2020 / 6 प्राचार्य, समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,

राजस्थान ।

जयपुर, दिनांक :- 7 (202)

विषयः—राज्य के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः प्रारम्भ करने बाबत् ।

संदर्भः-शासन सर्चिव, गृह (ग्रुप-9) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प033(2)गृह-9/2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 ।

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी । दिनांक 18 जनवरी 2021 से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर—उत्तरार्द्ध की ही कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ होंगी ।

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी । निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा निर्देशों एवं एसओपी के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गाईड लाईन्स की अक्षरशः अनुपालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावे :—

 महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्कीनिंग एवं सेनेटाईजशन करना अनिवार्य होगा ।

2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी / अभिभावक / स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों ।

3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे ।

4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध

कराना सुनिश्चित किया जावे ।

5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेसिंग (06 फिट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जावे, तािक हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।

6. केंटीन स्टाफ / कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।

- 7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार—बार सफाई की जायेगी ।
- 8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
- 9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे ।
- 10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी / शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड—19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्तपाल / कोविड़ सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रैफर / भर्ती किया जावे।
- 11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे ।
- 12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण को सेनेटाईज किया जावे ।
- 13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावे ।
- 14. सभी फैंकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
- 15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वायं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगें।
- 16. श्वास—प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खॉसते—छींकते समय अपने मुँह व नाक को टिश्यू / रूमाल से ढ़कना न भूलें ।
- 17. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना ।

कोविड़—19 के संक्रमण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समस्त महाविद्यालयों में स्टाफ / विद्यार्थी इन दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है । अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा—निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर। जयपुर, दिनांक :-

कमॉक:-एफ-7(4)प्रवेश / अकाद / आकाशि / 2020 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड़ करने हेतु ।

(सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक (अकादिमक) कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

Govt. Shakambhar P. G. College, Sambhar Lake

Academic Calendar 2021-22

The academic Calendar of the college has been prepared according to the calendar provided by the Department of College Education (DCE) Jaipur Rajasthan. Due to covid-19 pandemic and the consequent lockdown, college activities will be conducted according to the guidelines provided by DCE from time to time. So this academic Calender is tentative.

ler is tentative.	-				
July	Online Admission DDF				
	 Video lectures and PDF notes will be uploaded by the faculty members on regular basis for the undergraduate classes of part II + III and P. G. classes for final year. 				
August	Online mode of teaching.				
	 Online teaching will be continued till the student start coming to college on regular basis. 				
	Students Union Election.				
	 Incommemoration of Gandhiji's 150th anniversary programs will be organized according to the schedule provided by the government. 				
September	Azadi ka Amrit Mahotsav as schedule by the DCE.				
September – October	 Admissions for part I as per directions of DCE, Rajasthan. Examinations as per schedule of University of Rajasthan, Jaipur. 				
October	Dussehra Break - 13-10-2021 to 15.10.2021.				
November	 Scooty Distribution Diwali Break – 29-10-2021 to 06-11-2021. 				
December	Orientation of NSS.				
	• 7 Days NSS Camp.				
	• Winter Break – 25-12-2021 – 31.12.2021.				
January	 Online and Offline blended mode of teaching. 				
	 Kho-Kho Girls Intercollegiate Tournament as per the schedule of the Sports Board, University of Rajasthan, Jaipur. 				
February	Offline mode of teaching.				
	Cultural Program.				
	Seminar IIC Career Hub, University of Rajasthan, Jaipur.				
March, April	Offline mode of teaching in full swing.				
May, June	Examinations as scheduled by the University of Rajasthan. is the specific of the spe				

All the academic activities are organized as per the guidelines issued by the Department of College Education (DCE) Government of Rajasthan and affiliating University of Rajasthan.

प्राचाय राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय साँभर लेक (जयपुर)